संख्या-10/2023/617/63-व0उ0--202360/(एच)2016

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग **लखनऊ 06 दिनांकः :अप्रैल, 2023**

विषय-: अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के संबंध में ।

महोदय,

अवगत कराना है कि वर्ष 2006 में ऊर्जा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1969/24-पी-3-2006 दिनांक 14.06.2006 द्वारा पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट पर विद्युत आपूर्ति करायी जाने की योजना शुरू की गयी एवं निम्नलिखित प्राविधान किये गये थे -:

1. 60" तक की रीड स्पेस 65 0के लूम के लिए रू (कंघी).00 प्रति लूम पावरलूम बुनकर से लिया जायेगा। यह माना जायेगा कि लूम का विद्युत भार 0. 5अ0श0 है।
2. 60" से अधिक रीड स्पेस के लूमो के लिए रू130 0.00 प्रतिमाह लिया जायेगा। यह माना जायेगा कि लूम का विद्युत भार 1 अ0श0 है।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 60" तक की रीड स्पेस के लूम के लिये रू37 0.50 प्रति लूम एवं 60" से ऊपर रू75 0/अ0श0/माह लिया जायेगा।
4. अतिरिक्त मशीनों पर शहरी क्षेत्र में रू0 130/अ0श0/माह की दर से एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू0 75/अ0श0/माह की दर चार्ज किया जायेगा।

05 किलोवाट के कनेक्शनों में ग्रामीण विद्युत कनेक्शनों में पावरलूम की संख्या-

)अ (0.5 हार्स पावर के पावरलूम की संख्या57-,510

)ब (01 हार्स पावर के पावरलूम की संख्या3-,131

05 किलोवाट के कनेक्शनों में शहरी विद्युत कनेक्शनों में पावरलूम की संख्याः-

)अ (0.5 हार्स पावर के पावरलूम की संख्या1-,76,066

)ब (01 हार्स पावर के पावरलूम की संख्या14-,115

)2 (शासनादेश दिनांक 04.12.2019 द्वारा नई योजना लागू की गई, जिसके अनुसार पावरलूम बुनकरों को 1 हार्स पावर के पावरलूम को 240 यूनिट तक तथा 0.5 हार्स पावर के पावरलूम बुनकरों को 120 यूनिट तक रू3 0.50 की दर से सब्सिडी प्रदान किये जाने का प्राविधान है। दिनॉक् 15.10.2020 के शासनादेश संख्या-17/2020/924/630उ0व--2020'-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

60(एच/(2016टी0सी0 II स्थगित द्वारा दिनॉक 31.07.2020 तक शासनादेश संख्या-1969/24पी-3-2006 दिनॉक् 14.06.2006 के अनुसार ही पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट से भुगतान करने को अनुमति दी गयी।

)3(आर्थिक रूप से कमजोर बुनकरों के सहायतार्थ शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना दिनॉक 01.04.से चलाने का निर्णय 2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लिया गया है। उक्त्इस योजना के अन्तर्गत पावरलूम बुनकरों को निम्नवत विद्युत बिल का भुगतान करना होगा -:

)i(-न के लिएक्शकिलोवाट भार वाले विद्युत क्ने 5

)क5 -(किलोवाट तक के नगरीय विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों के 0.5 हार्स पावर से चलने वाले पावरलूम)60" रीड स्पेस तक के400 पर (/- प्रति माह प्रति पावरलूम लिया जायेगा।

)ख5 -(किलोवाट तक के नगरीय विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों के 1 हार्स पावर से चलने वाले पावरलूम 60)" रीड से अधिक800 पर (/- प्रति माह प्रति पावरलूम लिया जायेगा।

)ग5 -(किलोवाट तक के ग्रामीण विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों के0 .5 हार्सपावर से चलने वाले पावरलूम 60)" रीड स्पेस तक के0पर रू (300/- प्रति माह प्रति पावरलूम लिया जायेगा।

)घ5 -(किलोवाट तक के ग्रामीण विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों के 1 हार्स पावर से चलने वाले पावरलूम 60)" रीड से अधिक600 0पर रू (/- प्रति माह प्रति पावरलूम लिया जायेगा।

(ड.) 5 किलोवाट की सीमा के अन्तर्गत ही सहायक उपकरण यथा -बाबिन मशीन, वार्पिंग मशीन, कांनिंग मशीन, डबलिंग मशीन, वाईन्डर मशीन इत्यादि तथा पावरलूमों हेतु आवश्यक सहयोगी प्रकाश व पंखे का भार भी सम्मिलित होगा। इसी सीमा के अन्तर्गत वाराणसी कलाबत्तु, जरी निर्माण मशीन भी सम्मिलित है।

यह योजना 5 किलोवाट तक के विद्युत कनेक्शन धारकों के लिये अनुमन्य होगी। 5 किलोवाट भार की सीमा के अन्तर्गत ही सहयोगी उपकरणों व पावरलूमों हेतु आवश्यक सहयोगी प्रकाश एवं पंखे का भार भी सम्मिलित होगा। पावरलूम हेतु आवश्यक सहयोगी प्रकाश एवं पंखें का भार पावरलूमों एवं सहयोगी उपकरणों के कुल भार का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। उक्त के अतिरिक्त कोई उपकरण का उपयोग पाये जाने पर अनुमन्य छूट स्थायी तौर पर वापस ली जा सकेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

)ii(5 किलोवाट भार से अधिक विद्युत क्नेक्शन के लिए-

5 किलोवाट से अधिक भार वाले ग्रामीण तथा शहरी पावरलूम बुनकरों को रू700 0/- प्रति हार्सपावर प्रति माह की दर से अनुदान दिया जायेगा। जिसकी अधिकतम सीमा रू 0 9,100/- प्रति कनेक्शन प्रति माह होगी। अनुदान की धनराशि को बिजली बिल से घटाकर विद्युत विभाग के द्वारा बुनकर को बिल दिया जायेगा। जिसका भुगतान उसके द्वारा सीधे विद्युत विभाग को किया जायेगा। अनुदान की धनराशि हथकरघा विभाग के द्वारा विद्युत विभाग को सीधे उपलब्ध करायी जायेगी।

(4)उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा पावरलूम बुनकरों हेतु समयसमय पर निर्धारित संगत - 0विद्युत श्रेणी यथा एलएम0वी0-2 या एल0एम0वी0-6 की सामान्य दरों पर नियमानुसार आगणित विद्युत प्रभार पर आरोपित इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का पूर्ण भुगतान पावरलूम बुनकर उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा।

पावरलूम उपभोक्ता द्वारा किसी माह में कान्ट्रेक्टिड लोड से (संविदात्मक भार) पेनाल्टी /अधिक विद्युत भार प्रयोग किये जाने पर नियमानुसार आरोपित डिमान्ड सरचार्ज पावरलूम उपभोक्ता द्वारा देय होगी।

(5)लाभार्थियो की पात्रता एवं चयन की प्रक्रिया

(क)योजना का लाभ उन पावरलूम बुनकरों को अनुमन्य होगा, जिनका परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त तथा ऊर्जा विभाग द्वारा संयुक्त सत्यापन किया जा चुका है। नये पावरलूम (हथकरघा) बुनकरो को योजना का लाभ लेने हेतु परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा से पावरलूम विद्युत पत्र संस्तुत करा-कनेक्शन का प्रार्थनाना होगा। पावरलूम बुनकर कनेक्शन प्रार्थना पत्र प्राप्त कर विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन दिया जायेगा। परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त (हथकरघा) पावरलूम बुनकर होने का प्रमाण पत्र जारी करते समय पावरलूम बुनकर का आधार कार्ड संख्या, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, बैंक का आई,कोड .सी.एस.एफ. मोबाइल नम्बर एवं पावरलूम की क्षमता सहित संख्या तथा अन्य आवश्यक सूचनायें प्राप्त करेंगे।

नये पावरलूम बुनकरों को विद्युत संयोजन हेतु आनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा से संस्तुति का पत्र संयोजन के आवेदन के साथ पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

(ख)जिन परिक्षेत्रों में पावरलूम बुनकरों को विद्युत बिल में सब्सिडी प्रदान की जानी है, उस परिक्षेत्र से सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम के अधिशासी अभियन्ता से प (विद्युत विभाग)ूर्व से विद्युत प्रतिपूर्ति का लाभ पा रहे पावरलूम बुनकरों की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जनपदवारगा/ब्लाकवार/ँववारमोहल्लावार सत्यापित सूची हथकरघा विभाग के परिक्षेत्रीय / ,सहायक आयुक्त प्राप्त करेंगे जिसमें 0.5 हार्सपावर व 1 हार्सपावर के पावरलूमों की अलगअलग - ,संख्या सहायक उपकरणों की क्षमता सहित संख्या कुल विद्युत भार एवं विद्युत एकाऊन्ट नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

(ग)पावरलूम बुनकर उपभोक्ताओं को विद्युत विभाग द्वारा आनलाइन बिलिंग सिस्टम से प्रतिमाह बिल निर्गत किये जायेगें जिसमें पावरलूम बुनकरों द्वारा फ्लैट रेट पर देय धनराशि एवं हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा देय सब्सिडी दर्शायी जायेगी। बुनकरों द्वारा बिल जमा करने पर ऊर्जा विभाग के पास हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सब्सिडी की धनराशि समायोजित की जायेगी।

(घ)उक्त योजना का लाभ सिंगिल फेज एवं थ्री फेज के पावरलूम बुनकरों को (दोनो प्रकार) अनुमन्य होगा। एक परिसर में एक ही पावरलूम विद्युत कनेक्शन अनुमन्य होगा।

ड). (बुनकरों के द्वारा घरेलू बिजली हेतु पृथक मीटर लगवाया जायेगा।

(च)नये कनेक्शन हेतु मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा समयसमय पर जारी कास्ट - 0डेटा बुक के अनुसार देय सभी चार्जेज उपभोक्ता द्वारा देय होगें। सिस्टम लोडिंग चार्जेज मा उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार उपभोक्ता द्वारा देय होगा।

(छ)नये मीटर का खर्च पावरलूम उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जायेगा।

(ज)पावरलूम बुनकरों के शत-प्रतिशत कनेक्शनों पर विद्युत मीटर लगाये जायेंगे तथा प्रत्येक माह मीटर रीडिंग ली जायेगी। यदि मीटर खराब होता है तो मा0 उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्राविधानों के अनुसार ऊर्जा खपत का निर्धारण किया जायेगा। पावरलूमों बुनकरों हेतु समय0समय पर निर्धारित संगत विद्युत श्रेणी यथा एल-एम0वी0-2 या एल0एम0वी0-6 की सामान्य दरों पर अन्य चार्जेज को सम्मिलित (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आदि) करते हुये विद्युत बिल की गणना की जायेगी तथा योजना के अनुसार बुनकरों से प्राप्त होने वाले विद्युत मूल्य को घटाकर प्रत्येक माह की सब्सिडी धनराशि की गणना की जायेगी, जो कि हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा वहन की जायेगी। प्रत्येक त्रैमास की सब्सिडी का विवरण ऊर्जा विभाग द्वारा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

)6 (योजना प्रारम्भ करने की तिथि एवं अवधि-:

यह योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 01 अप्रैल ,2023 से प्रभावी होगा, इस योजना को जब तक संशोधित न किया जसमाप्त/ाय तब तक लागू रहेगी। योजनान्तर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आनलाइन बिलिंग सिस्टम पर नया साफ्टवेयर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा तैयार कराया जायेगा।

)7 (दिनाँक 01 अगस्त ,2020 से 31 मार्च2023 , तक की अवधि के लिए विद्युत बिल के भुगतान के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेगे।

) 8 (योजना हेतु बजट एवं धनराशि की मॉग-:

(क)सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास के प्रारम्भ में सभी वितरण निगम सब्सिडी पाने के अर्ह उपभोक्ताओं हेतु योजना के अन्तर्गत सब्सिडी धनराशि का आंगणन कर उ0प्र0पा0का0लि0, मुख्यालय लखनऊ को उपलब्ध करायेगें जिसका संकलन कर उ0प्र0पा0का0लि0, मुख्यालय लखनऊ द्वारा धनराशि की मांग हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर से की जायेगी। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर द्वारा तद्नुसार बजट0अनुपूरक बजट की मांग उ/प्र0 शासन से की जायेगी।

(ख)उपलब्ध बजट सीमा में एक वर्ष की देय सब्सिडी को अगले वर्ष अग्रणीत नहीं किया जायेगा। ऊर्जा विभाग प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह पावरलूम में खर्च होने वाली ऊर्जा के अनुसार वांछित सब्सिडी की धनराशि का आकलन करेगा एवं इससे हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग को अवगत करायेगा जिससे अगले वित्तीय वर्ष के लिये वांछित सब्सिडी की धनराशि का बजट में प्राविधान कराया जा सके एवं उक्त मद में कोई अतिरिक्त देयता न बने। सामान्यतः उसी वित्तीय वर्ष में देय सब्सिडी को अग्रणीत नहीं किया जायेगा, परन्तु किसी विशेष परिस्थिति के दृष्टिगत यथा पावरलूमों की संख्या में वृद्धि होने, मूल बजट में कमी होने अथवा अन्य किसी विशिष्ट कारणों से देय सब्सिडी को अन्तर अनुपूरक बजट, पुनर्विनियोंग एवं विभागीय समन्वय से अग्रणीत किया जा सकेगा।

)9 (संयुक्त निरीक्षण-:

ऊर्जा विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजना का पावरलूम उपयोगकर्ताओं द्वारा दुरूपयोग न किया जाय। इसके लिए प्रत्येक माह प्रतिशत 10 म चेकिंग की जायेगी। इस कार्य में हथकरघा विभाग के उपयोगकर्ताओं का रेण्ड संयुक्) अधिकारी का सहयोग/कर्मचारीत निरीक्षण हेतु लिया जायेगा। (

)10 (व्यय की प्रक्रिया -:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में उ0प्र0पा0का0लि0 लखनऊ द्वारा प्रेषित सब्सिडी धनराशि की मांग के अनुसार शासन से वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त सब्सिडी धनराशि हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय उ0प्र0, कानपुर द्वारा प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

) 11उपयोगिता प्रमाण (-पत्र का प्रेषण-:

सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में प्राप्त सब्सिडी की धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर को उ0प्र0पा0का0लि0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर द्वारा परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त कार्यालयों के माध्यम से उक्त (हथकरघा) सदुपयोगिता प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराने के उपरान्त समस्त सदुपयोगिता प्रमाण पत्र संकलित कर उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

अटल बिहारी वाजपेयी विद्युत पावरलूम बुनकर फ्लैट रेट योजना के क्रियान्वयन के संबंध में उक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(अमित मोहन प्रसाद (
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनॉक –तदैव।</u>

प्रतिलिपिक कार्यवाही हेतु प्रेषित।लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यनिम्न -:

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग उशासन। 0प्र0
2- अध्यक्ष निदेशकप्रबन्ध/, उ0पावर कारपोरेशन लि 0प्र0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3- महालेखाकार, उप्रयागराज। 0प्र0
4- निदेशक, (वितरणशक्ति भवन 0पावरकारपोरेशन लि 0प्र0उ (निंगकारपोरेट प्ला/वाणिज्य/, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल वि0निगम लि 0वि0, वाराणसी।
6- प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमॉचल, वि0निगम लि 0वि0, मेरठ।
7- प्रबन्ध निदेशक, मध्यान्चल, वि0निगम लि 0वि0, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल वि0निगम लि 0वि0, आगरा।
9- प्रबन्ध निदेशक, कानपुर विद्युत सप्लाई कम्पनी, लि 0(केस्कोकानपुर। (
10- समस्त परिक्षेत्रीय, सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग उ।0प्र0
11- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

) सत्येन्द्र प्रताप सिंह(

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।